प्रषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

आवटन,
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001011401

सवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारा/
आहरण–वितरण अधिकारी,
आगरा, एटा, प्रयागराज, गाजीपुर, देवरिया, उन्नाव, हरदाइ, खीरी, बाराबकी, ललितपुर, गाजियाबाद, महोबा, कौशाम्बी तथा शामली।

संख्या– 1/554/2020–1/05/2020: लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2021

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में सफाई कर्मचारियों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–21/2020/881/33–3–2020–100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–14 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **रू0–17,36,82,548/–(रू0 सत्रह करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार पांच सौ अड़तालिस मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो ता उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/ 2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

11. बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

12. यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

14. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो।

16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे–

   1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेण्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

   2– वर्ष 2020–21 में यदि कोई धनराशि अवशेष है, तो उसका समर्पण दिनांक 15.03.2021 तक प्रत्येक दशा में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–72 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/554/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-24/02/2021

प्रेषण संख्या:- 1-554-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 007-01-05-2020
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
14 -
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 170728000	8749892 37563836	0 358562	0 6723031	8749892 215373429
2	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	8402227 117000309	796198 19067879	0 245182	1373048 5970206	10571473 142283576
3	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	16627598 494234909	761742 81954985	1854364 4687880	0 20776474	19243704 601654248
4	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10893344 553480038	0 92239738	0 1171897	0 21973060	10893344 668864733
5	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10969702 275684946	0 51263081	0 585484	0 10977831	10969702 338511342
6	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5866606 241205126	0 53041563	0 541394	0 10155213	5866606 304943296
7	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	11107560 494091039	12529980 93137665	0 1042288	0 19542892	23637540 607813884
8	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	34220989 428463612	4830482 70313317	0 911003	0 17081306	39051471 516769238
9	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2842908 210750248	0 35356251	0 439690	0 8244186	2842908 254790375
10	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3233398 83472388	14711249 29626523	0 168582	0 3160921	17944647 116428414
11	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3865651 33491095	826330 5862658	0 64902	87215 1771415	4779196 41190070
12	महाबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6113493 74757012	0 15015029	0 171632	0 3218093	6113493 93161766
13	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	8958125 88935592	1004628 15541062	0 177750	0 3332809	9962753 107987213
14	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	951923 42182057	2103896 9143019	0 88416	0 1657792	3055819 53071284
	योग	वर्तमान प्रगामी	124053524 3308476371	46314397 609126606	1854364 10654662	1460263 134585229	173682548 4062842868

महायोग- (वर्तमान आवटन):- रूपया सत्रह करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार पाँच सौ अड़तालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब छ: करोड़ अठाईस लाख बयालीस हजार आठ सौ अड़सठ

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश